FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

तहसीलदार, गिर्वा	**बनाम**	श्री चैना भील व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 23/2013 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
08.09.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 9106/2016 चैना बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 की प्रति संलग्न करते हुए, इस न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 23/2013 राज्य सरकार बनाम श्री चैना व अन्य को खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अपीलांट की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में अपील चलने योग्य नहीं होना व्यक्त किया। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 23/2013 राज्य सरकार बनाम श्री चैना में परिसीमा अधिनियम में देरी को कन्डोन किये जाने के आदेश दिनांक 11.05.2012 जारी किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.05.2012 एवं इस क्रम में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निगरानी आदेश दिनांक 25.03.2015 तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र संबंधी आदेश दिनांक 18.04.2016 को अपने निर्णय दिनांक 23.08.2023 से खारिज/अपास्त कर दिया है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 23.08.2023 के परिपेक्ष्य में अपील संख्या 23/2013 स्वतः निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से मियाद के बिन्दु पर निरस्त की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/9/2025. संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)	Advocate	